International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in November 2024, ISSN -2393-8048

शिक्षा का मौलिक अधिकार : प्रयास एवं समाधान

ब्रजेश सिंह भदौरिया, शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
डॉ. प्रियंका बंसल, प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग, मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)

सारांश

किसी भी देश का भविष्य उसकी वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथा उसकी नीति, योजनाओं पर निर्भर रहता है, विश्व में प्रत्येक देश सबसे ज्यादा आशंकित और महत्वकांक्षी अगर किसी क्षेत्र के प्रति होता है तो वह उस देश की शिक्षा होती है। अक्सर शिक्षा के क्षेत्र को हर समाज में हल्के ढंग से लिया जाता है और समझा जाता है कि शिक्षा का कार्य केवल शिक्षित नागरिकों को तैयार करना मात्र होता है, किंतु यह स्थिति भ्रामक भ्रमात्मक तथा प्रगति के लिए कष्टप्रद साबित हो सकती है। वस्तुतः शिक्षा वह क्षेत्र है जो देश को भविष्य के नेतृत्व के लिये योग्य नागरिक प्रदान करने का कर्ा करती है।

कुंजी शब्द – राष्ट्र, शिक्षा, सर्वांगीण विकास, अधिकार, अधिनियम –

स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने अपने नवनिर्माण के लिए शिक्षा प्रसार की आवश्यकता का अनुभव किया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 6 से 11 वर्ष वाले केवल 30 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अतः देश की राष्ट्रीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क सार्वभौमिक तथा अनिवार्य बनाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से स्वतंत्र भारत के संविधान की 45वीं धारा में स्पष्ट रूप से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की धोषणा की गयी है।

प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने हेतु प्रयास – इस आंदोलन को सर्वप्रथम (1911–1922) तक श्री गोखले के द्वारा चलाया गया। ताथ श्रीमती एनीबेसेंट ने 1917 में कलकत्ता कांग्रेस में 1870 में इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था जो कि भारत से मिलती जुलती थी बताया। इसी वर्ष एक 'शिक्षा विधान' पास हुआ और प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बना दी गई।

परन्तु जनता इस नीति से असंतुष्ट थी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने जो केन्द्रीय धारा सभा के एक सदस्य थे 19 मार्च 1910 को संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिये महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गये। इस बिल का मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था।

प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाना – दिनांक 9–10 अगस्त 1996 को हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा राज्यों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में इस संकल्प पर चर्चा की गई थी। सम्मेलन में इस संकल्प के महत्व को ध्यान में रखा गया तथा सरकार से यह अनुरोध किया गया कि सरकार इस प्रस्ताव के वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी तथा शैक्षिक पहलुओं पर विचार करें। सम्मेलन में यह सिफारिश की गयी कि इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक समिति गठित की जाय। तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक समिति गठित की गयी तत्पचात् विस्तृत विश्लेषण तथा विवेचना करने के पश्चात् वर्ष 2009 में वाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित कियास गया जिससे छः से चौदह वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क शिखा को अनिवार्य कर उसका मौलिक अधिकार बना। जिसकी उपधारा (1) में प्रावधान किया गया कि शिक्षा के प्रयोजन के लिये कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभारया व्यय का संदाय करने के लिए राजी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पुरी करने से उसे निवारित करें यथा–

1. ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की उनके लिए विशेष उपबंधा
2. अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार
3. समुचित सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य।
4. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व व सीमाएं।
5. प्रवेश के लिए आयु का सबूत। 6. प्रवेशसे इंकार न करना।
7. बालक को शरीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 12 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू हुआ। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक किया गया। यह अधिकार केन्द्र एवं राज्य सरकार की मिली जुली रिस्पान्सलिबीटी थी कि सभी बालकों को प्राप्त हो। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा त्ज्म् को मौलिक अधिकार के रूप में धारा 21 द्य को 86वें संशोधन के बाद, 2005 में बिल पास होने के बाद अगस्त 2009 मे रिवाइस होने के बाद यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।

शिक्षा आयोग (1964–66) भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार –

अ छहः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

ब निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को उक्त अधिनियम(समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 की धारा 2 के संबंध के उपबंधो के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

स छह वर्ष से अधिक आयु के बालक जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पुरी नहीं की उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

द जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पुरी करने की व्यवस्था नहीं है वहाँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

इ इन प्रारंभिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए बालक को स्थानांतरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विलंब पर प्रवेश से इंकार करने के लिए आधार नहीं होगा।

माता पिता के कर्तव्य –

अ प्रत्येक माता–पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आस पास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी यथा स्थिति का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए।

ब प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के सभी बालों आरंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना।

स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य –

अ प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना।

ब दुर्बल वर्गो के बालकों और अलाभित समूह के बालको के प्रति पक्षपात न हो।

स प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूरा करना सुनिश्चित करना।

द अधिकारी द्वारा विद्यालय भवन, शिक्षण सामग्री, शिक्षण कर्मचारी उपलब्ध करवाना।

इ प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना,अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित, पाठ्यचार एवं पाठ्यक्रमों शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना आदि।

विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व – कोई भी विद्यालय उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। विद्यालय उसमें प्रवेश कराए गये बालकों के ऐसे अनुपात को जो इस प्रकार प्राप्त उसकी अनुदान, आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। कोई भी विद्यालय पहली कक्षा में आसपास के दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हाने तक प्रदान करेगा।

कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बच्चे और माता–पिता अथवा संरक्षक को किसी प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा और अगर रखता है, तो वह जुर्माने के रूप मे दंडनीय होगा।

प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रायोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म आदि दस्तावेजों से विहित की जाये किसी बच्चे की आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा। किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में निश्चित अवधि के भीतर किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। किसी बालक को प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा, प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जायेगा।

बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

विद्यालय पूर्ण मान्यता प्राप्त होना चाहिए जो सारे मानकों को पूर्ण करता हो। विद्यालय में भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी ऐसे विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता–पिता या संरक्षक, शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाऐ ऐसी समिति में पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियाँ होगी। विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय के कार्य–कारण को मानीटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, सिफारिश करना, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना एवं उनका पालन करवाना।

शिक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं – केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा न्यूनतम अर्हताएं है। शिक्षक के लिए पात्र होगा। जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक संख्या में नहीं है वहाँ शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पाँच वर्ष की एसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगीं एवं पाँच वर्ष के भीतर शिक्षक ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

शिक्षकों के कर्त्तव्य – विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता और समय पालन, पाठ्यक्रम संचालित करना व पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, उसी अनुसार अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो जोड़ना, माता पिता एवं संरक्षकों के साथ नियमित बैठके करना, बालक की उपस्थिति, नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गयी प्रगति आदि की जानकारी से अवगत कराना। कोई शिक्षकधशिक्षिका प्रायवेट ट्यूशन या प्रायवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाऐगाध्लगाएगी।

छात्र शिक्षक अनुपात– पहली कक्षा से पांचवी कक्षा पर शिक्षकों की संख्या साठ छात्रों के होने पर शिक्षकों की संख्या दो होगी। इस प्रकार प्रत्येक बीस छात्रों की संख्या बढ़ने पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से बढ़ाना होगा। अर्थात् छात्र–शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस पर एक शिक्षक होगा।

छठवीं से आठवीं कक्षा के लिए कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक और विषयों जैसे विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा के लिए प्रत्येक हेतु एक–एक शिक्षक हो। इसी प्रकार अंश कालीन शिक्षक कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा आदि के लिये भी शिक्षक हो। एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित देवसों और शिक्षण घंटों की संख्या हो जो दो सौ बीस कार्य दिवस या एक हजार शिक्षण घंटे हो।

बालक के अधिकार का संरक्षण– निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय की जांच करते समय वही शक्तिया होगी जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समानुदेशित की गयी हो अगर अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, तो व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा जिसका समाधान तीन मास की अवधि में करना होगा।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के साथ उचित न्याय तभी हो सकता है, जब शिक्षकों को पढ़ने की तड़प परन्तु शिक्षकों को प्राप्त अधिकार अधूरे है. शिक्षक अपने कौशलों एवं कर ज्ञान का प्रयोग अपनी योग्यता आदि का प्रायोगिक उपयोग नहीं कर पाते हैं बालकों की शिक्षा सुनिश्चित हो तभी उनके साथ हम न्याय कर पायेगे कुछ आवश्यक बातें

1. हमारे देश की ग्रामीण जनता को जागरूक करना उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी देना।
2. विद्यालयों में ग्रामीण परिवेश के अनुसार शैक्षिक योजनाऐं को लागू करना स्कूलों में सामान्य सुविधाओं, खेलकूद की सामग्री कह व्यवस्था हो।
3. शिक्षा की गुणवत्ता के नवीन मानदंड बनाने होंगे इस हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।
4. वंचित समूह के सम्पन्न परिवारों के बच्चे भी अच्छे निजी स्कूलों में आवेदन करते है, इसलिए वंचित समूह हेतु आय की सीमा का निर्धारण किया जाये।
5. निजी स्कूलों के वातावरण एवं भूषा की परेशानी से वंचित वर्ग के बालकों को समस्या हो सकती है उन्हें मानसिक तनाव कुंठा आदि हो सकते है। इस हेतु भी सार्थक प्रयास आवश्यक है।
6. सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु अचित संचार तकनीकी का प्रयोग किया जाए।
7. प्रबंध समितियों के गठन एवं उनकी उचित बैठकों के द्वारा शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं समसयाओं पर मुक्त विचार होना चाहिए।
8. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आवश्यकताओं, नीतियों शोध परिणामों पर आधारित हो।

समय–समय पर चिंता प्रकट की गयी है कि हमारी शिक्षा का स्तर उत्तरोत्तर नीचे गिर रहा है। इस संदर्भ में विशेषकर प्राथमिक स्कूलों को दोषी ठहराया जाता है और कहा जाता है कि इस स्तर पर बच्चों की सर्वांगीण उन्नति के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक नींव दृढ नहीं होगी भवन भी अस्थिर ही रहेगा इसलिए शिक्षा स्तर की नींव, जिसका आधार प्राथमिक स्तर पर ही निर्भर होता है को सुदृढ़ बनाए बिना शिक्षा के अन्य स्तरों में लाना बहुत ही कठिन कार्य होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. रेणु त्रिपाठी डॉ. अर्पणा त्रिपाठी : भारत में प्राथमिक शिक्षा आयेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2010
2. जे.सी. अग्रवाल : भारत में प्राथमिक शिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली 2010
3. मिश्रा महेन्द्र कुमार : शिक्षा सिद्धांत एवं आधुनिक भारत की शिक्षा बुकहाउस जयपुर, 2008
4. डॉ.सत्यप्रकाश पचौली : शिक्षा के आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली, 2012
5. Dr- Rajiv Kumar (Associate Professor), Dept- of Teacher education, S.V. College Aligarh (UP) Article, Right to education act: Challeuges & Remedies-
8. प्राथमिक शिक्षण, शैक्षिक संवाद की पत्रिका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् जुलाई 2019
9. भारत सरकार 2009, भारत का राजपत्र, निःशुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम, नई दिल्ली